



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-10102025-266852
CG-WB-E-10102025-266852

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4496]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 10, 2025/आश्विन 18, 1947

No. 4496]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2025/ASVINA 18, 1947

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

कोलकाता, 10 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4625(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व रेलवे/निर्माण संगठन) की अधिसूचना संख्या 3654, का.आ.3993(अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii), दिनांक 18 सितम्बर, 2024 में प्रकाशित, एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

अधिसूचना संख्या 3654, का.आ.3993(अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2024 में, सारणी में क्रम संख्या (1) और स्तंभ (2), (3) और (4) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

क्रम सं.	विशेष रेल परियोजना का नाम	राज्य	सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चांडिल-अनाड़ा-दामोदर अनुभाग (121.26 किमी) के बीच तीसरी लाइन का निर्माण।	झारखंड, पश्चिम बंगाल	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), पुरुलिया, पश्चिम बंगाल।

[फा. सं. दपूरे/निर्माण-संगठन/मुख्यालय/भूमि/ डीसीई/सी/एडीए/चांडिल-अनाड़ा-दामोदर तृतीय लाइन/एसआरपी /3]
हरि प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना संख्या 3654, का.आ. 3993(अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii), दिनांक 18 सितम्बर, 2024 में प्रकाशित की गई।

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Eastern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Kolkata, the 10th October, 2025

S.O. 4625(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (South Eastern Railway/Construction Organization) vide notification number 3654, S.O.3993(E), dated the 18th September, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th September, 2024, namely:

In the notification number 3654, S.O.3993(E), dated the 18th September, 2024, in the Table for Sl. no.1 and entries relating thereto in columns (2), (3) and (4) the following shall be substituted, namely:

Sl. No.	Special Railway Project	State	Competent Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Construction of 3 rd line between Chandil-Anara-Damodar section (121.26 Km.).	Jharkhand, West Bengal	Additional District Magistrate (L.A), Purulia, West Bengal.

[F. No. SER/CON-Orgn./HQ/Land/DCE/C/ADA/Chandil-Anara-Damodar 3rd line/SRP/3]

HARI PRAKASH TRIPATHI, Chief Admin. Officer(Con)

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th September, 2024 vide notification number 3654, S.O.3993(E), dated the 18th September, 2024.